# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

Phone No- 0141-2715572 Website - www.rajsmsa.nic.in Email ID- rajsmsaadm@gmail.com


क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / संस्था–1 / एफ–25 / मंत्रालयिक संवर्ग प्रतिनियुक्ति / 2020 / 16516 दिनांक :– 9/11/2020

## समग्र शिक्षा के जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों हेतु ऑनलाईन इन्टरव्यू विज्ञप्ति

राजस्थान में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में **संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक** एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में **सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक** तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में **वरिष्ठ सहायक** के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा ऑनलाईन इन्टरव्यू 23.11.2020 से 27.11.2020 तक आयोजित किये जाएगे। संबंधित जिला एवं ब्लॉक की पदवार संभावित रिक्तियों, साक्षात्कार तिथि एवं दिशा–निर्देश के विवरण को परिषद की वेबसाईट http://rajsmsa.nic.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाईन साक्षात्कार के लिंक व समय की सूचना ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गये मोबाईल नम्बर के Text Msg एवं शाला दर्पण के स्टॉफ विन्डो पर प्रेषित की जायेगी।

राज्य परियोजना
निदेशक, समग्र शिक्षा
एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

Phone No- 0141-2715572 Website - www.rajsmsa.nic.in Email ID- rajsmsaadm@gmail.com


क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / संस्था–1 / एफ–25 / मंत्रालयिक संवर्ग प्रतिनियुक्ति / 2020 / 16518 दिनांक :– 9/11/2020

## समग्र शिक्षा के जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों हेतु आवेदन के लिए दिशा–निर्देश

1. ऑनलाईन आवेदन शालादर्पण के स्टॉफ विण्डो पर जाकर किया जायेगा।
2. विज्ञप्ति में प्रकाशित सभी पद प्रतिनियुक्ति के हैं इन पदों पर पदस्थापन हेतु राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक पात्र होंगे।
3. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की सेवानिवृति में तीन वर्ष का समय शेष होना आवश्यक है।
4. जिन कार्मिकों की नियुक्ति राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2011 के अन्तर्गत हुई है वे कार्मिक आवेदन के पात्र नहीं है।
5. जिन कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है अथवा जिन्हें राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत किसी भी प्रकार से दण्डित किया हो, वे पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे।
6. परियोजना कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों का कार्यकाल न्यूनतम एक वर्ष होगा, जिसे नियमानुसार अधिकतम चार वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन प्रतिनियुक्त कार्मिक के कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर या प्रशासनिक कारणों से अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के द्वारा प्रतिनियुक्ति निरस्त कर मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
7. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के पास रिक्त पदों की संख्या में कमी / वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी का पदस्थापन निरस्त कर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
9. उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक **16.11.2020** को रात्रि **12.00** बजे तक भरे जा सकते हैं। (इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जायेगा)
10. आवेदनकर्ता से संबंधित सूचना शाला दर्पण के प्रपत्र–10 (P-10) से ली जायेगी, अतः आवेदनकर्ता आवेदन करने से पूर्व प्रपत्र–10 (P-10) का अद्यतन (Update) किया जाना सुनिश्चित करें। ऑनलाईन साक्षात्कार का लिंक एवं समय आवेदककर्ता के शाला दर्पण के प्रपत्र—10 में दिये गये मोबाईल नम्बर के Text Msg एवं शाला दर्पण के विन्डो पर प्रेषित किया जायेगा।
11. ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गई सूचना पूर्ण रूप से भरकर Final Submit करें। आवेदन पत्र को Final Submit करने के बाद Application Id जनरेट होगी तभी आवेदक का आवेदन पत्र मान्य होगा।
12. अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात मूल विभाग में न्यूनतम एक वर्ष की उपशमन अवधि (cooling off period) आवश्यक है।
13. सभी पदों हेतु कम्प्यूटर में दक्षता एवं टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) अनिवार्य है।
14. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले के न्यायिक क्षेत्र में होगा।

**जयपुर :**
**दिनांक :**

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं
आयुक्त, स्कूल शिक्षा